## अन्य विवरण

1. नियुक्ति कार्यग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी।

2. वेतनमान संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव के लेवल (लेवल 14 (₹144200–218200)/लेवल 15 (₹182200–224100) का होगा। नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी। उम्मीदवार वहीं परिलब्धियां प्राप्त करेगा जो वह मूल कैडर पर प्राप्त कर रहा है/रही है। प्रतिनियुक्ति भत्ता भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

3. 'परिशिष्ट–1' पर निर्धारित प्रारूप में पूरी तरह भरे गये आवेदन एकल लिफाफे में निम्नानुसार ''सार्वजनिक उद्यम विभाग'' को उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए।

4. आवेदन उपरोक्त दिये गये विवरणों के अनुसार डिजिटल माध्यम (ई–मेल) के माध्य से भी जमा किये जा सकते हैं:

   सभी अपेक्षित दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी (ई–मेलः **AM.DPE@gov.in**) के माध्यम से या भौतिक प्रारूप में डीपीई ड्रॉप बॉक्स, भूतल, ब्लॉक–14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा किये जा सकते हैं

5. अपूर्ण आवेदन और निर्धारित समय/तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

6. चयन सर्च–सह–सलेक्शन कमिटी (एससीएससी) द्वारा किया जाएगा। समिति योग्यता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति की पहचान करने और सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है जिसने पद के लिए आवेदन नहीं किया हो।

7. समिति प्रतिभाशाली उम्मीदवार के संबंध में यदि उचित समझे तो अर्हता एवं योग्यता/अनुभव मानदंड पर छूट दे सकती है ।

8. यदि किसी भी चरण पर यह पता चलता है कि आवेदन में दी गई जानकारी मिथ्या/अपूर्ण/झूठी है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

9. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट/सही/पूर्ण जानकारी दें और आवेदन के साथ मूल दस्तावेज/प्रमाणपत्र आदि की स्व–सत्यापित प्रतियों के रूप में इसके प्रमाण जमा करें।

10. कंपनी, यदि चाहे तो पदों को न भरने का अधिकार रखती है।

11. केवल न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने का यह मतलब नहीं है कि आवेदक चयन का अधिकार रखता है।

**जमा करने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम)**
**19.06.2023 को कार्यालय अवधि की समाप्ति तक है।**